न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 193/2023

अनवान : –

1. विमला देवी पत्नी भीमसिंह पुत्री जैसाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर हाल निवास रानिया तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– सायल

बनाम्

1. जैसाराम पुत्र पेमाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र आदराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
3. रेखा पत्नी बजरंगलाल जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
4. रामेश्वरलाल पुत्र जैसाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
5. सरोज पत्नी रामजीलाल जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
6. रामेश्वरलाल पुत्र जैसाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
7. आदराम पुत्र जैसाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
8. बजरंग पुत्र जैसाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
9. रामजी पुत्र जैसाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
10. विद्या पुत्री जैसाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
11. सुमित्रा पुत्री जैसाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
12. अमरसिंह पुत्र सावत्री पुत्री जैसाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
13. सुभाश पुत्र सावत्री पुत्री जैसाराम जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
15. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
16. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन ज़ोशी अधिवक्ता **सायलान**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांक: 11/06/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेंश किया कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 82/72 की कुल 11.4070 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:22 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त कृषि भूमि हिन्दु [illegible] जायदाद है। उक्त भूमि सायला के पड़दादा केशरा वल्द श्योजी की [illegible] भूमि [illegible] की साबिका ख0न0 [illegible]/60 की 95 बीघा मुमकिन भूमि जो की सम्वत 2012 मे केशरा क[illegible] मृत्यु के पश्चात नये ख0न0 मे परिवर्तित होकर ख0न0 175 की 60 बीघा, ख0न0 18 मीन की 21 बीघा, ख0न0 101 की 19 बीघा 19

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बिस्वा, परिवर्तित होकर विरासतन दर्ज हो गयी तथा साबिका ख0न0 101 की 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि के नये ख0न0 246 की 12 बिघा 7 बिस्वा व साबिका ख0न0 175 की 32 बीघा 15 बिस्वा भूमि होकर घरू बंटवारा में जैसाराम सायला के पिता के नाम दर्ज हो गयी जो की पैमाराम की मृत्यु के बाद गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि में सायल का भी जन्मजात हक हिस्सा है।

गैरसायल स0 1 ने उक्त भूमि में गैरसायल स0 2 को 1/4 व गैरसायल स0 4 को 1/4 भूमि का अपनी पुत्रवधु गैरसायल स0 5 व गैरसायल स0 3 प्रत्येक के पक्ष में 1/4 हिस्सा भूमि का दानपत्र दिनांक 12.04.2023 को निष्पादीत करवा दिया। गैरसायल स0 1 ने पारिवारिक सदस्यों को नकारते हुए गैरसायल स0 2 ता 4 के पक्ष में दानपत्र करवा दिया। उक्त दानपत्र सायला के हक हिस्सा के मुकाबले शुन्य है क्योकि गैरसायल अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि को अन्यत्र स्थानान्तरण नही कर सकता था। इसलिए सायला अपनें हक हिस्सा अनुसार घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। वाद भूमि गैरसायल स0 2 ता 4 के नाम अनुचित तरीके से दर्ज हुई है। गैरसायलान के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होने के कारण गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय करने पर उतारू है। इसलिए गैरसायलान के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब उक्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है गैरसायलस स0 1 के जीवनकाल में उक्त भूमि में किसी का कोई हक हिस्सा नही है। गैरसायल स0 1 द्वारा गैरसायल स0 2 ता 4 के पक्ष में किये गये दानपत्र विधि के अनुसार है क्योकि गैरसायल स0 1 की उक्त भूमि स्वयं अर्जित होने के कारण गैरसायल स0 1 अपना हक हिस्सा किसी को देने के लिए स्वतंत्र है गैरसायल स0 1 द्वारा किये गये दानपत्र प्रारम्भ से ही शुन्य न होकर विधि मान्य है सायला द्वारा प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की उपरोक्त कृषि भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है। उक्त भूमि सायला के पड़दादा केशरा वल्द श्योजी की पैदाकर्ता भूमि थी जो की साबिका ख0न0 20/60 की 95 बीघा मुमकिन भूमि जो की सम्वत 2012 मे केशरा की मृत्यु के पश्चात नये ख0न0 मे परिवर्तित होकर ख0न0 175 की 60 बीघा, ख0न0 18 मीन की 21 बीघा, ख0न0 101 की 19 बीघा 19 बिस्वा, परिवर्तित होकर विरासतन दर्ज हो गयी तथा साबिका ख0न0 101 की 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि के नये ख0न0 246 की 12 बिघा 7 बिस्वा व साबिका ख0न0 175 की 32 बीघा 15 बिस्वा भूमि होकर घरू बंटवारा में जैसाराम सायला के पिता के नाम दर्ज हो गयी जो की पैमाराम की मृत्यु के बाद गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज हुई। गैरसायल स0 1 ने उक्त भूमि में गैरसायल स0 2 को 1/4 व गैरसायल स0 4 को 1/4 भूमि का अपनी पुत्रवधु गैरसायल स0 5 व गैरसायल स0 3 प्रत्येक के पक्ष में 1/4 हिस्सा भूमि का दानपत्र दिनांक 12.04.2023 को निष्पादीत करवा दिया। गैरसायल स0 1 ने पारिवारिक सदस्यों को नकारते हुए गैरसायल स0 2 ता 4 के पक्ष में दानपत्र करवा दिया। उक्त दानपत्र सायला के हक हिस्सा के मुकाबले शुन्य है क्योकि गैरसायल अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि को अन्यत्र स्थानान्तरण नही कर सकता था। इसलिए सायला अपने हक हिस्सा अनुसार घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। वाद भूमि गैरसायल स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2 ता 4 के नाम अनुचित तरीके से दर्ज हुई है। गैरसायलान के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होने के कारण गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय करने पर उतारू है। इसलिए गैरसायलान के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब उक्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है गैरसायलस स0 1 के जीवनकाल में उक्त भूमि में किसी का कोई हक हिस्सा नही है। गैरसायल स0 1 द्वारा गैरसायल स0 2 ता 4 के पक्ष में किये गये दानपत्र विधि के अनुसार है क्योंकि गैरसायल स0 1 की उक्त भूमि स्वयं अर्जित होने के कारण गैरसायल स0 1 अपना हक हिस्सा किसी को देने के लिए स्वतंत्र है गैरसायल स0 1 द्वारा किये गये दानपत्र प्रारम्भ से ही शुन्य न होकर विधि मान्य है सायला द्वारा प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करनां आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

नकल चित्रप्रति खतौनी, मिलान क्षेत्रफल व न नकल जमाबंदी भू प्रबन्धक सेटेलमेण्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनकी फौतदगी के बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी स0 2 ता 4 के पक्ष में दानपत्र किया गया है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:22 IST
Reason: SelfAttested

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>- सुविधा के सन्तुलन से [illegible] कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा [illegible] अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का [illegible]कार था एवं अप्रार्थी स0 1 द्वारा अप्रार्थी स0 2 ता 4 के पक्ष में दानपत्र किया गया है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीया का भी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीया का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीया को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीया के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चकदेईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 82/72 के ख0न0 246 की 3.1240 हैक्ट, 331 की 8.2830 हैक्ट कुल 11.4070 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 11/06/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:22 IST
Reason: SelfAttested